

**झारखण्ड सरकार,
जल संसाधन विभाग**

का. आ. सं.- 8/ज०स०(नि०) न०वि०-44/11

राँची, दिनांक -

आदेश

श्री राम कुमार सिंह, तत्कालीन नगर निवेशक राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार राँची द्वारा भवन प्लान संख्या-1103/08 तथा भवन प्लान संख्या- 706/04 में RRDA के अधिवक्ता द्वारा दिये गये मंतव्य की अनदेखी कर अपराधिक षडयंत्र के तहत संवेदक को लाभ पहुँचाने के लिए उक्त भवन प्लान के नक्शा स्वीकृति में की गई अनियमितता के लिए श्री राम कुमार सिंह को सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम- 49(A) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

(2) निलंबन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग देवघर निर्धारित किया जाता है।

(3) निलंबन अवधि में श्री सिंह को सेवा संहिता के नियम - 96 के तहत जीवन -निर्वाह भत्ता देय होगा।

(4) उक्त प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक - २०

राँची, दिनांक - 05-01-16

प्रतिलिपि - कोषागार पदाधिकारी देवघर/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग, देवघर/उप सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग/उप सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग झारखण्ड राँची/श्री राम कुमार सिंह, सहायक अभियंता (चालू प्रभार) ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज एवं एन० आर० ई०पी० मामले) झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


5.1.16

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव